



दिनांक: 24 जनवरी, 2024

### अधिसूचना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के पत्र संख्या- F. 2-10/2023 (AC-Policy) दिनांक: 13 नवम्बर, 2023 द्वारा सनबीम कालेज फॉर वोमेन, भगवानपुर, लंका, वाराणसी को सत्र 2024-2025 से 2033-2034 तक कुल 10 वर्षों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (महाविद्यालयों को स्वायत्तता का दर्जा प्रदान करने तथा स्वायत्त महाविद्यालयों के मानकों के रखरखाव संबंधी उपाय) विनियम, 2023 के बिन्दु संख्या-7.5 के अन्तर्गत स्वायत्तता की अनुमति प्रदान की गयी है। तत्क्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा सनबीम कालेज फॉर वोमेन, भगवानपुर, लंका, वाराणसी को सत्र 2024-2025 से 2033-2034 तक प्राप्त स्वायत्तता की अनुमति को इस शर्त के साथ अधिसूचित किया जाता है कि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (महाविद्यालयों को स्वायत्तता का दर्जा प्रदान करने तथा स्वायत्त महाविद्यालयों के मानकों के रखरखाव संबंधी उपाय) विनियम, 2023 में उल्लिखित नियमों का पूर्णतः पालन करना अनिवार्य होगा।

डॉ० (सुनीता पाण्डेय)  
कुलसचिव

पत्रांक : कु0स0-2B स0अ0/ 29947 /01-1481-2024/2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
2. अपर प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अनु सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली-110002
4. प्रबन्धक- सनबीम कालेज फॉर वोमेन, भगवानपुर, लंका, वाराणसी।
5. जनसम्पर्क अधिकारी, म0गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
6. अधीक्षक-सामान्य प्रशासन/समिति अनुभाग/यू0जी0सी0 यूनिट/परीक्षा सामान्य/परीक्षा गोपनीय।
7. प्रभारी कम्प्यूटर सेण्टर को इस आशय से कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट अपलोड करें।

कुलसचिव